न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00446 (326/2018) 223 आरटीएक्ट

रमेश कुमार पुत्र दलवीरसिह आदि जाति चमार निवासी दडबाकला तहसील व जिला सिरसा हरियाणा हाल आबाद भादरा तहसील भादरा जिला हनुमांनगढ

– अपीलाण्ट

बनाम

1. मोहनी देवी उर्फ गिरदावरी पत्नी बनवारी पुत्री सुरजाराम जाति धानक निवासी भंगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गुड्डी पत्नी हरीसिंह पुत्री सुरजाराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. धर्माराम पुत्र सुरजाराम जाति धानक निवासी कलाना तहसील भादरा
4. कमला पत्नी गोपीराम पुत्री सुरजाराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा (मृतक)

   4/1 गोपीराम

   4/2 विनोद } पि0 गोपीराम जाति धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा

   4/3 सुरेन्द्र }

   4/4 सुमन } पि0 गोपीराम नाबालिग जरिये कुदरति वली पिता गोपीराम जाति

   4/5 कृष्णा } धानक निवासी भांगवा तहसील भादरा
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा – रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2010 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा प्रकरण संख्या 319/2002 (180/02)

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनीराम सरावग एवं लौकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2,

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 5

निर्णय दिनांकः– 13.06.2019

1. सहायक कलक्टर भादरा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2/वादीगण ने दावा इश्तकरारहक व खाता तकसीम प्रस्तुत कर रोही मौजा कलाना तहसील भादरा के हाल खसरा नं. 637 की 33 बीघा 15 बिस्वा में वादी संख्या 1 का 1/4 भाग, वादी 2 का 1/4 भाग, प्रतिवादी 1 का 1/4 भाग, प्रतिवादी 2 का 1/4 भाग होने की उद्घोषणा एवं जमाबंदी हाल खाता इंतकाल वादीगण के हकों के मुकाबले शून्य व बेअसर होने एवं बाद करने उद्घोषणा अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन का अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायायल द्वारा स्वीकार कर दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राथमिक डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकिं अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 18.06.1993 से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से खसरा नं. 637 की 33 बीघा 15 बिस्वा पश्चिमि तरफ की भूमि खरीद की हुई है। खरीद के रोज से अपीलाण्ट काबिज था एवं अपीलाण्ट ने यह भूमि शिला पत्नी औमप्रकाश को एवं शिला ने रोशनी पत्नी सुभाष चन्द को विक्रय कर दी है। ये बैयनामे प्रभाव में रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने 18.06.1993 के विक्रय पत्र को गलत रूप से निष्प्रभावी घोषित किया है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होने से वाद पोषणीय नहीं था। जब रेस्पोडेण्ट का इस भूमि में कोई हक हिस्सा ही नहीं था तो वह उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त नहीं कर सकती थी और रजिस्टर्ड बैयनामे को राजस्व न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता है। बैयनामे के निष्पादन से किसी पक्षकार ने इन्कार नहीं किया है। दौराने वाद भूमि का विक्रय अवैध नही है बल्कि धारा 52 हस्तान्तरण अधीनियम के तहत हस्तान्तरिति डिक्री से बाध्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अब न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपील स्वीकार करने एवं बैयनामा दिनांक 18.06.1993 के पूर्णतः विधि सम्मत होने में अपनी सहमति भी जाहिर की है एवं अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2019 व आवेदन पत्र दिनांक 12.06.2019 के अनुसार अपील का निस्तारण किये जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र, पत्रावली एवं बहस में आये तथ्यों के आधार पर एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. उपखण्डाधिकारी भादरा द्वारा अपीलाधीन निर्णय से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत दावा को डिक्री करते हुए प्रश्नगत भूमि को सुरजाराम की खातेदारी होना मानते हुए सुरजाराम के वारिसान का 1/4 हिस्सा होना स्वीकार कर वाद डिक्री किया हैं एवं दौराने वाद भूमि में हिस्से से अधिक विक्रय की गई भूमि को वादीगण के अधिकारों पर पाबंदी आयद होना नहीं मानते हुए एवं इस प्रकार के बयनामे को प्रारम्भ से ही शून्य होना मानते हुए वाद डिक्री किया है। अपीलाण्ट ने अपील में यह तर्क दिया है कि बैयनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्रदत्त नहीं है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 वादीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर बैयनामा दिनांक 18.06.1993 को विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्मत होने का कथन करते हुए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायलाय दिनांक 13.10.2010 को निरस्त करने में अपनी सहमति दी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में जो रिपोर्ट हल्का पटवारी है जिसके साथ प्रस्तुत जमाबंदी के कॉलम नं. 4 में धर्मा वल्द सुरजा 275 हिस्सा, शिला पत्नी औरमप्रकाश 400 हिस्सा खातेदार रहिन धर्मा हिस्सा एमजीबी कलाना एवं कॉलम नं. 12 में शिला हिस्सा रहिन आईसीआईसीआई शाखा सिकरोडी के नाम भी रहन दर्ज है। परन्तु दावा में सम्बन्धित बैंक एवं शिला को पक्षकार नहीं बनाया जाना पाया जाता है जो कि दावा में आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत भूमि में दर्ज वर्तमान खातेदारान एवं बैंक को पक्षकार बनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित है।

8. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट रेस्पोड़ेण्ट संख्या 1 व 2 की सहमति के आधार पर आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.10.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि में दर्ज वर्तमान खातेदारान एवं बैंक को पक्षकार बनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official